

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प दाणी जालेडा)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुझुनूं (राज0),  
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- ..... 501/2021

-:आदेश:-

दिनांक 08/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत दाणी जालेडा व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम काकडा पटवार मण्डल दाणी जालेडा जमाबन्दी सम्वत् 2025: 78 के खाता संख्या 207, 212 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>काकडा</u>	<u>207, 212</u>	<u>मिस्री पत्नी मेहरचंद जाली अहीर साडेठ स्कानेकर</u>	<u>मिस्री पत्नी मेहरचंद जाली अहीर नि पाल नव व कि मेहरचंद (हकीम)</u>

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 239-40  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)

2. प्रार्थी मिस्री पत्नी मेहरचंद जाली अहीर नि पाल नव व कि मेहरचंद (हकीम) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी



उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बुहाना जिला-झुझुनूं (राज.)